

[2025] 9 एस. सी. आर 91: 2025 आई. एन. एस. सी 934

भनेई प्रसाद @ राजू

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11587/2025)

04 अगस्त 2025

[अरविंद कुमार और संदीप मेहता, जे. जे.]

विचारणीय मुद्दा

मामला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यता से संबंधित है, जिसमें पिता को अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने के लिए धारा 6 पोक्सो अधिनियम और धारा 506 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा देने के आदेश को बरकरार रखा गया था।

शीर्षनोट[†]

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - धारा 6, 29 - दंड संहिता, 1860 - धारा 506 - नाबालिग पर यौन हमला - पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र दस साल है, पर बार-बार गंभीर यौन हमला - ये कृत्य घर की सुरक्षा के भीतर लगातार, जानबूझकर किए गए हमले थे - पिता को धारा 6 POCSO अधिनियम और धारा 506 IPC के तहत दोषी ठहराया गया और निचली अदालतों द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई - निर्णय की सम्यकता:

न्यायालय में निचली अदालतों द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा को उचित, विधिसम्मत और आवश्यक पाया गया - निचली अदालतों के समवर्ती निर्णयों में कोई दोष या असंगति नहीं पाई गई - धारा 29 के अंतर्गत प्रतिग्रहणा (प्रेजम्प्शन) को कोई खंडन नहीं मिला - पीड़िता की गवाही निश्चल, चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित एवं बिना किसी अतिशयोक्ति के थी - उसकी प्रकटिकरण, यद्यपि विलंबित था, सत्य और दीर्घकालीन आघात तथा धमकियों का परिणाम था जिनका वह सामना करती रही - बाल पीड़िता की गवाही, यदि विश्वासयोग्य और विश्वसनीय पाई जाती है, तो उसे सहायक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती - निचली अदालतों ने केवल पीड़िता के कथन को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अचूक वैज्ञानिक साक्ष्यों से पुष्ट भी किया - डीएनए रिपोर्ट ने सबूतों की कड़ी को मजबूती से जोड़ा और अभियोजन पक्ष के मामले में सभी संदेहों को समाप्त किया - कोई भी पुत्री, चाहे कितनी भी

आहत हो, अपने ही पिता के विरुद्ध इस प्रकार के गंभीर आरोप मनगढ़ंत नहीं करती केवल पारिवारिक अनुशासन से बचने के लिए - ऐसे यौन शोषण के अपराधों को सबसे कठोर निंदा और दंड की आवश्यकता है - इस याचिका पर विचार करना या दोष सिद्धि के पश्चात जमानत देना न केवल कानून की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा, बल्कि इस देश के प्रत्येक बच्चे को किए गए संवैधानिक वादे का भी उल्लंघन होगा - यह नारीत्व की पवित्रता का न्यायिक अपमान होगा और हर उस मातृ के लिए चोट होगी जो अपने बच्चे को न्याय में विश्वास करना सिखाती है - जब पिता जो सुरक्षा कवच, संरक्षक एवं नैतिक मार्गदर्शक होने चाहिए, बालक की शारीरिक अखंडता और गरिमा का सबसे गंभीर उल्लंघन करता है, तो यह व्यक्तिगत ही नहीं संस्थागत विश्वासघात है - माता-पिता द्वारा किए गए सगे संबंधी यौन हिंसा अपराध का एक विशिष्ट श्रेणी है जो पारिवारिक विश्वास के मूलभूत ताने-बाने को चीरता है और इसे भाषा एवं दंड दोनों में सबसे कठोर निंदा मिलनी चाहिए - ऐसे अपराधों के लिए सजामे में कोई भी रियायत नहीं हो सकती जो परिवार को सुरक्षा का स्थान बनाने की अवधारणा को उलट देते हैं - संवैधानिक न्याय की दिशा विशेषकर अनुच्छेद 142 के तहत केवल दंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्वास, पुनर्प्राप्ति और मानव गरिमा की पुष्टि को भी समाहित करती है - पीड़िता की उम्र, अपराध की निरंतरता और सार्थक न्याय दिलाने के संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा पीड़िता को ₹10,50,000/- मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा।[अनुच्छेद4-17]

उद्धृत न्यायनिर्णय

निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ [2018] 14 एससीआर 755: (2019) 2 एससीसी 703 - पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012; दंड संहिता, 1860; भारत का संविधान।

प्रमुख शब्दों की सूची

पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करना; बार-बार गंभीर यौन उत्पीड़न; घर की सुरक्षा के भीतर जानबूझकर हमले; आजीवन कारावास; अनुमान; चिकित्सा की पुष्टि; एक बाल पीड़ित की गवाही; निर्विवाद वैज्ञानिक साक्ष्य; डीएनए रिपोर्ट; घरेलू अनुशासन; कड़ी निंदा; निवारक सजा; न्यायिक अपमान; अभिभावक; नैतिक दिशा-निर्देश; पुनर्वास या सुधार; अनाचारपूर्ण यौन हिंसा; संवैधानिक न्याय; मानव गरिमा की पुष्टि; मुआवजा; यौन उत्पीड़न /

अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों / उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना, 2018; कानून का शासन; न्याय वितरण प्रणाली।

मामला उत्पन्न हुआ

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11587/2025
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के सीआरए संख्या 562/2019 के निर्णय और आदेश
दिनांक 03-07-2024 से।

पक्षकारों की उपस्थिति

याचिकाकर्ता के वकील:

कृष्ण पाल सिंह, सुश्री अन्विता अपराजिता, मोहन सिंह बैस, सीमाब कय्यूम

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. सुना है। देरी को माफ कर दिया गया।
2. वर्तमान याचिका में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा आपराधिक अपील संख्या 562/2019 में पारित दिनांक 03.07.2024 के निर्णय और अंतिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (इसके बाद, 'पोक्सो अधिनियम') की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है।
3. मामले के तथ्य किसी और के नहीं, बल्कि पीड़िता के पिता द्वारा की गई अविश्वसनीय विश्वासघात की कहानी को उजागर करते हैं, जिसे अपनी ही नाबालिग बेटी, जो घटना के समय लगभग दस साल की थी, पर बार-बार गंभीर यौन उत्पीड़न करने के लिए दोषी ठहराया गया है। ये घटनाएँ कोई छिटपुट घटनाएँ नहीं थीं, बल्कि घर की सुरक्षा के भीतर, जहाँ हर बच्चा सुरक्षा की उम्मीद करता है, लगातार, जानबूझकर किए गए हमले थे।
4. निचली अदालत ने पीड़िता (पीडब्लू 3) की मौखिक गवाही, उसकी बड़ी बहन (पीडब्लू 2) के पुष्टिकरण साक्ष्य, और ठोस फॉरेंसिक व मेडिकल रिकॉर्ड के गहन मूल्यांकन के बाद, दोषी का फैसला सुनाया था। उच्च न्यायालय ने एक सुविचारित फैसले में, दोषसिद्धि की पुष्टि की और जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई।
5. पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत न्यायशास्त्र, बचपन की मासूमियत को निशाना बनाने वाले हिंसक अपराधों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में विकसित हुआ है। पोक्सो अधिनियम

की धारा 29, मूलभूत तथ्यों के स्थापित हो जाने पर, दोष की एक वैधानिक धारणा बनाती है। वर्तमान मामले में, यह धारणा अखंडित रही। पीड़िता की गवाही अटल, चिकित्सकीय रूप से पुष्ट और बनावटीपन से मुक्त थी। हालाँकि उसका खुलासा देर से हुआ, लेकिन वह सच्चा था और उस पर आए दीर्घकालिक आघात और धमकियों से उपजा था।

6. अब यह पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि यदि किसी बाल पीड़ित की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है, तो उसे किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती। निचली अदालतों ने न केवल पीड़ित के बयान को स्वीकार किया है, बल्कि उसे निर्विवाद वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मान्य भी किया है। डीएनए रिपोर्ट ने साक्ष्य श्रृंखला को सुदृढ़ कर दिया है और अभियोजन पक्ष के मामले में सभी संदेहों को दूर कर दिया है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति जताई जा रही है।
7. हमारे सामने यह तर्क पूरी तरह से खोखला है कि याचिकाकर्ता को तनावपूर्ण घरेलू रिश्तों और अपनी बेटियों के प्रेम संबंधों की अस्वीकृति के कारण झूठा फंसाया गया था। कोई भी बेटी, चाहे कितनी भी पीड़ित क्यों न हो, केवल घरेलू अनुशासन से बचने के लिए अपने ही पिता के खिलाफ इतने बड़े आरोप नहीं लगाएगी।
8. इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण से जुड़े अपराधों में, खासकर बच्चों के विरुद्ध, पीड़ित को आजीवन आघात पहुँचता है। ये घाव केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, जो विश्वास, सुरक्षा और गरिमा के हर पहलू को तार-तार कर देते हैं। जब अपराधी कोई और नहीं, बल्कि पिता, यानी स्वाभाविक अभिभावक ही हो, तो अपराध एक राक्षसी रूप धारण कर लेता है।
9. ऐसे अपराधों की कड़ी निंदा और कठोरतम दंड के अलावा और कुछ नहीं। किसी भी बहाने से इस तरह के घृणित कृत्य को माफ़ करना न्याय का उपहास होगा और हमारे संवैधानिक एवं वैधानिक ढाँचे में निहित बाल संरक्षण के अधिकार के साथ विश्वासघात होगा।
10. प्राचीन शास्त्रों के अनुसार:

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः॥"

जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवत्व पनपता है; और जहां उनका

अपमान होता है, वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं।"

यह श्लोक न केवल एक सांस्कृतिक सिद्धांत, बल्कि एक संवैधानिक दृष्टि को भी दर्शाता है। महिलाओं की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता, और हमारी न्याय व्यवस्था को अनुचित सहानुभूति या कथित प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आड़ में उस गरिमा में बार-बार दखलंदाजी की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

11. याचिका में अंतरिम जमानत राहत की भी प्रार्थना की गई है और हमारा न्यायिक विवेक अंतरिम जमानत राहत की प्रार्थना में लापरवाही बरतने की अनुमति नहीं देता, जहाँ दोषसिद्धि पूर्ण सुनवाई के बाद हुई हो, अपील में पुष्टि हुई हो, और पीड़िता की गवाही स्पष्ट, ठोस और विधिवत पुष्ट हो। इस न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों में, विशेष रूप से पारिवारिक विश्वासघात से जुड़े अपराधों में, राहत सामान्य रूप से नहीं दी जा सकती। जहाँ दो न्यायालयों ने एक साथ दोष सिद्ध किया हो और निष्कर्ष विकृत न हों, वहाँ वर्तमान मामले में अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप न तो आवश्यक है और न ही उचित है।
12. यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि इस तरह के मामले में, अपराध सिद्ध और पुष्टि हो जाने के बाद, वर्तमान याचिका पर विचार करना या जमानत देने पर दूर से भी विचार करना, न केवल कानून की गरिमा को कम करेगा, बल्कि इस देश के हर बच्चे से किए गए संवैधानिक वादे के साथ विश्वासघात भी होगा। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण से, यह नारीत्व की पवित्रता का न्यायिक अपमान होगा और हर उस माँ के लिए आघात होगा जो अपने बच्चे को न्याय में विश्वास करना सिखाती है।
13. जब एक पिता, जिससे एक ढाल, एक संरक्षक, एक नैतिक दिशानिर्देश होने की अपेक्षा की जाती है, एक बच्चे की शारीरिक अखंडता और गरिमा के सबसे गंभीर उल्लंघन का स्रोत बन जाता है, तो यह विश्वासघात न केवल व्यक्तिगत होता है, बल्कि संस्थागत भी होता है। पुनर्वास या सुधार की आड़ में कानून ऐसे कृत्यों को न तो क्षमा करता है और न ही कर सकता है। माता-पिता द्वारा किया गया अनाचारपूर्ण यौन हिंसा एक विशिष्ट श्रेणी का अपराध है जो पारिवारिक विश्वास के आधारभूत ढाँचे को तार-तार कर देता है और इसकी भाषा और वाक्य दोनों में कड़ी निंदा की जानी चाहिए। घर, जो एक आश्रयस्थल होना चाहिए, को अकथनीय आघात का स्थल बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और अदालतों को स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि ऐसे अपराधों का समान रूप से कठोर न्यायिक जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार के मामले में उदारता की अपील स्वीकार करना न केवल अनुचित होगा, बल्कि यह कमजोर लोगों की रक्षा करने के न्यायालय के अपने संवैधानिक कर्तव्य के साथ

विश्वासघात भी होगा। जब एक बच्ची को अपने ही पिता के हाथों कष्ट सहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कानून को दृढ़ और अडिग स्वर में बोलना चाहिए। ऐसे अपराधों के लिए सजा में कोई रियायत नहीं दी जा सकती जो परिवार को सुरक्षा के स्थान के रूप में स्थापित करने की धारणा को ही नष्ट कर देते हैं।

14. अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों में, यह न्यायालय केवल दण्डात्मक परिणामों के आरोपण से संतुष्ट नहीं हो सकता। संवैधानिक न्याय का विस्तार, विशेषकर अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, केवल दण्ड देने तक सीमित नहीं है, अपितु पुनर्वास, पुनर्प्राप्ति तथा मानवीय गरिमा की पुष्टि को भी समाहित करता है। जैसा कि **निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ**¹ में निर्धारित किया गया है, इस न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संकलित “यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों/बचावार्थियों के लिए मुआवजा योजना, 2018” को स्वीकार किया एवं उसके क्रियान्वयन का निर्देश दिया। उक्त योजना के अन्तर्गत बलात्कार के पीड़ितों के लिए अधिकतम मुआवजा राशि ₹7,00,000/- (सात लाख रुपये मात्र) निर्धारित है, जिसे नाबालिग पीड़ितों के मामले में 50% अधिक बढ़ाया जाता है।
15. अपराध के समय पीड़िता की आयु, दुर्व्यवहार की निरंतर प्रकृति और सार्थक निवारण प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा योजना के अनुसार पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10,50,000/- रुपये (केवल दस लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया जाए। हालाँकि पीड़िता अब वयस्क हो गई है, हमारा विचार है कि उसके भविष्य के हितों की रक्षा के लिए, यदि कुछ राशि को सावधि जमा में रखने का आदेश दिया जाए, तो यह उसके सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करेगा। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पीड़िता के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में 5 वर्ष की अवधि के लिए 7,00,000/- रुपये (केवल सात लाख रुपये) की राशि सावधि जमा में रखी जाए और वह त्रैमासिक ब्याज निकालने की हकदार होगी। शेष राशि, रु. 3,50,000/- (मात्र तीन लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान उसके खाते में स्थानांतरित करके किया जाएगा, जिसका विवरण उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा। यह बताना अनावश्यक है कि सावधि जमा की परिपक्वता पर, उसकी राशि उसके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, और इस प्रक्रिया की निगरानी हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

16. यह न्यायालय दोहराता है कि न्याय केवल दोषसिद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ कानून इसकी अनुमति देता है, वहाँ इसमें क्षतिपूर्ति भी शामिल होनी चाहिए। यह मुआवज़ा प्रदान करते हुए, हम बाल पीड़ितों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि दिया गया न्याय ठोस, करुणामय और पूर्ण हो।
17. उपरोक्त हमारी टिप्पणियों के मद्देनजर, हमें निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में कोई त्रुटि या विसंगति नहीं दिखती। निचली अदालतों द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश न्यायसंगत, विधिसम्मत और आवश्यक पाए गए हैं। अतः, विशेष अनुमति याचिका समय रहते खारिज की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका भी निपटारा किया जाएगा।
- मामले का परिणाम: विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

† हेडनोट निधि जैन द्वारा तैयार किए गए।